राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–406 / 2025

सुमन कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, अराजपत्रित एवं अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, पंचायतीराज चिकित्सा विभाग, जयपुर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर जिला सीकर।
4. मंजू एएनएम उपस्वास्थ्य केन्द्र, सहरोन, जिला धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की तिथि : 11.02.2025
आदेश की दिनांक : 12.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री हितेश बिश्नोई, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, दाबडी फतेहपुर जिला सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप स्वास्थ्य केन्द्र, सहरोल, जिला धौलपुर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का नाम आलोच्य आदेश में गलत नाम अंकित किया गया है। अपीलार्थी का नाम सुमन कुमारी है, जबकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम सुमन अंकित किया गया है (अनुलग्नक–2)। माननीय अधिकरण मे दायर

अपील संख्या 564/2024 कमलजीत सिंह बनाम राजस्थान राज्य एव अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.03.2024 (अनुलग्नक–4) एवं अपील संख्या 271/2025 भुवनेश्वर बनाम राज्य एवं अन्य तथा अपील संख्या 279/2025 अनवर खां कुरैशी में पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 (अनुलग्नक–5) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है।

4. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 22.01.2025 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को एएनएम के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, दाबडी फतेहपुर जिला सीकर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य